न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/381

1. मंगला राम
2. प्रहलाद
3. देवलाल पिसरान श्री मांगीलाल जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बोरावास कोटा डेम की टापरियॉ तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राजय जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटा डेम की टापरियॉ (बोराबास) जरिये प्रधानाध्यापक तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 14.08.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 5.16 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर भूमि भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटा डेम की टापरियॉ (बोराबास) को खेल मेदान हेतु अपने आदेश कमांक प.2 (8) (139)राजस्व–ा/2018/1898 -- 1904 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आवंटन आदेश दिनांक 29.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आवंटित भूमि पर

अपीलान्ट का पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर सिंचाई करने हेतु कुआ खुदवाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त आवंटन कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलान्ट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त आवंटन किया है जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है जिसे न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है क्योंकि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उक्त आवंटन किया है जिससे प्रार्थीगण के हित सीधे प्रभावित हुए हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट गत 40 वर्षो से कब्जा काश्त है । अपीलान्ट ने अपनी फसल सिंचाई के लिए कुआ खुदवा रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन में अनियमितता करते हुए उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा डेम की टापरियॉ (बोराबास) को आवंटन किया है । विद्यालय को सन् 2010 में आराजी खसरा नम्बर 84 की 0.50 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था जिसमें से 0.10 हैक्टर भूमि पर विद्यालय भवन बना हुआ है, शेष 0.40 हैक्टर भूमि खेल मैदान हेतु उपलब्ध है जिस पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है उनको बेदखल न करके स्कूल भवन से एक किलोमीटर दूर यह आराजी खेल मैदान के लिए आवंटित की गई है जो खेल मैदान हेतु उपयोगी नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटित आदेश दिनांक 29.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 5.16 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर भूमि भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटा डेम की टापरियॉ (बोराबास) को खेल मेदान हेतु अपने आदेश दिनांक 29.05.2018 के द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार आवंटित की है । अतिक्मी को आवंटन आदेशों का चैलेंज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि

का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी किस्म गै0मु0 पठार खसरा नम्बर 81 रकबा 5.16 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर भूमि भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटा डेम की टापरियॉ (बोराबास) को खेल मेदान हेतु आवंटित की है । अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि उनका उक्त आराजी पर पिछले 40 वर्षों से कब्जा काश्त है और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलान्ट के कथन को यदि सही मान भी लिया जावे तो भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमी है और अतिक्रमी को राजकीय भूमि के आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस स्टेन्डाई (Locus Standie) नहीं होता है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि माना जावेगा । इन तथ्यों के आधर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का आवंटन खेल मैदान हेतु विद्यालय को किया गया है जो विधि सम्मत है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा